**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- 3778**

**सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक)**

**बिहार में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर**

**3778. श्री राजेश रंजन:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में, विशेषकर बिहार में, महिलाओं की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार श्रम बल भागीदारी दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बिहार में रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभान्वित महिला लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी के निम्न स्तर के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान बिहार में महिला रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रमों के लिए आवंटित और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा बिहार में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में सुधार के लिए सुझाए गए लक्षित उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) से (ङ): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) वर्ष 2017-18 में 23.3%, वर्ष 2018-19 में 24.5%, वर्ष 2019-20 में 30.0%, वर्ष 2020-21 में 32.5%, वर्ष 2021-22 में 32.8%, वर्ष 2022-23 में 37.0% और वर्ष 2023-24 में 41.7% थी। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान बिहार राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए अनुमानित एलएफपीआर क्रमशः 38.2%, 40.4%, 41.8%, 41.9%, 41.8%, 48.9% और 53.2% था। पीएलएफएस रिपोर्ट में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार की जानकारी उपलब्ध है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/publications-reports पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, बिहार राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 2.8% से घटकर वर्ष 2023-24 में 1.4% हो गई है और बिहार राज्य में इसी अवधि के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार का संकेत देने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 4.0% से बढ़कर 30.1% हो गया है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार, महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, चार श्रम संहिताओं- वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 को दिनांक 21 नवंबर 2025 से लागू कर दिया गया है, जिसमें 29 पूर्ववर्ती श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

इन श्रम संहिताओं में महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रावधान हैं जैसे:-

(i) कार्यस्थल के विवादों के समाधान में महिलाओं की राय को शामिल करने के लिए शिकायत निवारण समिति में उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व।
(ii) 26 सप्ताह तक का सवैतनिक मातृत्व अवकाश, साथ ही गोद लेने वाली और कमीशनिंग माताओं के लिए 12 सप्ताह तथा मातृत्व अवकाश के बाद जहां संभव हो वहां रिमोट कार्य की अनुमति देना।
(iii) समान या समान कार्य के लिए वेतन और रोजगार की शर्तों के मामले में लिंग आधारित भेदभाव का निषेध।
(iv) कामकाजी माताओं को काम और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने में मदद करने के लिए छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शिशु गृह सुविधाओं को बढ़ावा देना।

इसके अलावा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 ने महिलाओं को सभी संस्थानों में सभी तरह के कामों के लिए कार्य करने की अनुमति दी है और उनकी सहमति से उन्हें सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद भी काम पर रखा जा सकता है, बशर्ते सुरक्षा, छुट्टियों और काम के घंटों से जुड़ी शर्तों का पालन किया जाए। यह संहिता यह भी कहती है कि किसी भी खतरनाक या जोखिम भरे काम में महिलाओं को लगाने से पहले संस्थानों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने होंगे।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म "SHe-Box पोर्टल" शुरू किया है, जिसमें 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' (यौन उत्पीड़न अधिनियम) के विभिन्न प्रावधान शामिल हैं।

सरकार, महिला कामगारों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के मुद्दे का समाधान करने के लिए जीवन-चक्र निरंतरता के आधार पर एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। परिणामस्वरूप, एक नए भारत के दृष्टिकोण के साथ, भारत महिलाओं के विकास से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में तेजी से परिवर्तन देख रहा है, जहां महिलाएं तेज गति और सतत राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं।

सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 में भी ऐसे प्रावधान किए हैं, जिनके तहत कंपनियों के लिए कम से कम एक महिला निदेशक का होना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बजट (2024-25) में, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशुगृह की स्थापना की घोषणा की गई।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जनवरी, 2024 में "महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ताओं के लिए परामर्शिका" जारी की। इस परामर्शिका में अन्य बातों के साथ-साथ पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए रोजगार और देखभाल की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है, जिसमें पितृत्व अवकाश, अभिभावकीय अवकाश, पारिवारिक आपातकालीन छुट्टी और लचीली कामकाजी व्यवस्था जैसे परिवार अनुकूल उपाय शामिल हैं।

*****